न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 27 / 2023
दायर दिनांक : 26 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक : 13 / 10 / 2025

उनवान

1. मिठूलाल पिता प्रताप कुम्हार निवासी जोयड़ा तहसील भूपालसागर
2. ऊंकार पिता कन्नीराम कुमावत निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर

वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता भगवानलाल कुमावत निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर
2. पन्नालाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर
3. रूपलाल पिता जयचन्द कुमावत निवासी जोयड़ा तहसील भूपालसागर
4. भैरूलाल पिता भगवानलाल कुमावत निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर
5. खुमा पिता जयचन्द कुमावत निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर
6. मांगीलाल पिता जयचन्द कुमावत निवासी जोयडा तहसील भूपालसागर
7. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा – 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामलाल गुर्जर, वादी अधिवक्ता
2. श्री आसिफ ईकबाल, प्रतिवादी अधिवक्ता

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम जोयड़ा पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके आ.सं. 720 रकबा 0.04 हे. किस्म आ.चा. दर्ज है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की है जो भूमि कुऐं के रखरखाव व कुएं की छूट के लिये आरक्षित है जिसका किसी भी स्थिति में विभाजन या बंटवारा नहीं हो सकता है फिर भी प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त आराजी आरक्षित कृषि भूमि पर खुर्द बुर्द कर पक्का निर्माण करने पर आमादा हैं ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण उक्त संयुक्त कृषि आराजियात कुएं की छूट पर अगर पक्का निर्माण कर लेगें तो वादीगण एवं अन्य खातेदार को काफी असुविधाओं का सामना करना पडेगा उनके हक अधिकार भी प्रभावित होगें तथा कुएं के लिये आरक्षित भूमि पर कुएं के संबंधित पानी निकासी की सामग्री भैंसे, बैल, चडस, विद्युत मोटर की लाईन निकासी की लाईन, मवेशियों को बांधने या पानी पिलाने के लिऐ पाउं आदि का निर्माण नहीं हो पायेगा और सभी खातेदारान के कृषि उपकरण रखने का स्थान भी नहीं बचेगा इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि आ.सं. 720 रकबा 0.04 है. किस्म आ.चा. की [illegible] की पक्का निर्माण नहीं करें भौतिक स्वरूप नहीं बिगाडें अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो शेष को भी अपार क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा तथा [illegible] विवाद उत्पन्न होगें पक्षकारों के बीच वैमनस्यता बढ जायेगी जिसके कारण [illegible] से नहीं रह पायेगा। [illegible] पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम जोयडा तहसील भूपालसागर में स्थित आ.सं. 720 रकबा 0.04 है. पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करें, बह बेचान नहीं करें मौके की यथास्थिति बनाई रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:47 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री आसिफ ईकबाल ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील उभयपक्ष दिनांक 07.10.2025 को उपस्थित आए। वकील प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी के निवेदन अनुसार दिनांक 07.10.2025 को जबवा बंद कर बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरान कर प्रतिवादीगण को पक्का निर्माण नहीं करने व बेचान नहीं करने व समान रूप से कुऐ का उपयोग उपभोग करने हेतु पाबंद करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने समान रूप से कुऐ का उपयोग उपभोग करने बाबत सहमति देकर आदेश जारी करने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली एवं उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जोयडा पटवार हल्का निलोद में स्थित आ.सं. 720 रकबा 0.04 है. किस्म आ.चा. की भूमि का समान रूप से उपयोग, उपभोग करेंगे, किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं कर मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:47 IST
Reason: SelfAttested